"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] रायपुर, बुधवार, दिनांक 29 फरवरी 2012—फाल्गुन 10, शक 1933

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 फरवरी 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-20/2008/वाक.(पं.)/पांच (05).—विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10-20/2008/वा.कर (पं.)/पांच, दिनांक 31-03-2008 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए हस्तांतरण की ऐसी लिखतों पर जिनके द्वारा कोई संपत्ति महिला/महिलाओं के पक्ष में अनन्यत: अंतरित की जाती है, उक्त अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद-23 के अंतर्गत प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की प्रचलित दर में एक प्रतिशत की कमी करती है.

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 फरवरी 2012

क्रमांक एफ 10-20/2008/वाक.(पं.)/पांच (05).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-20/2008/वाक.(पं.)/पांच (05), दिनांक 29-02-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, सचिव.

Raipur, the 29th February 2012

NOTIFICATION

No. F 10-20/2008/CT (R)/V(05).—In supersession of this Department's Notification No. F 10-20/2008/CT (R)/V (24), Dated 31-03-2008 and in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section-9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), the State Government hereby reduces the prevailing rate of stamp duty by one percent, on instruments of conveyance, chargeable under articles 23 of schedule 1-A, where the property is transferred exclusively in favour of woman/women.

2. This notification shall come into effect from 1st April, 2012.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
G. S. MISHRA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.